न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
004/2020(रसद) (GCMS 2021/00091)	03.03.2020	22.09.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

रामेश्वर कीर पुत्र किसना कीर निवासी गरदाना तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षी

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
एक तरफा — विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रवर्तन निरीक्षक शिवराम चौधरी, बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया दिनांक 31.01.2020 को अपराहन 05.30 बजे जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को दूरभाष पर प्राप्त सूचना के आधार पर आदेशानुसार आवेदक पुलिस थाना निकुम्भ पहुँचे। यहाँ पर पहुँचने पर थानाधिकारी पुलिस थाना निकुम्भ ने तहरीर प्रस्तुत करते हुये बताया कि मुखबीर की सूचना के आधारा ATM गली आवरी माता रोड़ निकुम्भ चौराहे पर रामेश्वर कीर पुत्र किसना कीर की दुकान सिसोदिया कृषि सेवा केन्द्र निकुम्भ चौराहा पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना प्राप्त हुई। उक्त तहरीर को पढकर आवेदक मौके पर सिसोदिया कृषि सेवा ATM गली आवरी माता रोड़ निकुम्भ चौराहा पहुँचे। वहाँ पर पूर्व में थानाधिकारी निकुम्भ द्वारा अवैध व्यापार हेतु संग्रहित घरेलू गैस सिलेण्डर व कमर्शियल गैस सिलेण्डर के पास जाब्ता बिरमा कॉस्टेबल बेल्ट संख्या 886 मौके पर मिले। मौके पर मुल्जिम रामेश्वर कीर पुत्र किसना कीर नहीं मिले जबकि दुकान खुली पाई। मौके पर पूछताछ करने सिसोदिया कृषि केन्द्र रामेश्वर कीर पुत्र किसना कीर द्वारा संचालित होना बताया गया। मौके पर उपस्थित मौतबिरान से पूछताछ करने पर उक्त दुकान में रामेश्वर पुत्र किसना कीर द्वार गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व अवैध व्यापार करना

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

बताया गया। मुल्जिम रामेश्वर कीर पुत्र किसना कीर उपस्थित नहीं मिले व बुलाने पर भी मौके पर नहीं आये। और गैस भण्डारण के आवश्यक दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। मौके पर घरेलू गैस के 04 सिलेण्डर व कमर्शियल गैस के 1 सिलेण्डर व 58 अन्य उपभोक्ताओं की डायरिया पाई गई। मौके पर 58 गैस डायरिया पाई गई जिसकी जब्ती मुर्तिग कर एसएचओ सुरेश बिश्नोई को सुर्पुद की गई। मौके पर फर्द तलपट्टी बनाकार मौतबिरान के समक्ष मैसर्स श्री सांवरिया इण्डेन गैस एजेन्सी निकुम्भ के प्रतिनिधि आबिद पुत्र बाबू शाह जाति मुस्लिम निवासी निकुंभ तहसील बडीसादडी को बुलाकर उनके कम्प्यूराईज्ड कांटे से जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर व 01 कमर्शियल गैस सिलेण्डरों को तोलकर उक्त गैस एजेन्सी की सुपुर्दगी में दिये जाकर मौतबिरान के रूबरु हस्ताक्षर करवाये गये व निर्देशित भी किया गया कि उक्त गैस सिलेण्डरों का अपने स्टॉक में इन्द्राज कर अपने गोदाम में सुरक्षित रखेंगे तथा वक्त आवश्यकता पडने पर प्रस्तुत करेंगे। फर्द तलपटी फर्द मौके के साथ संलग्न है। फर्द तलपट्टी फर्द मौके के साथ संलग्न है। दुकान सिसोदिया कृषि सेवा केन्द्र में अवैध व्यापार करने वाले रामेश्वर कीर पुत्र किसना कीर को बार-बार बुलाने पर भी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ न ही अवैध रूप से भण्डारित घरेलू गैस व कमर्शियल गैस सिलेण्डर के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये न ही गैस रिफिलिंग से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये। अतः एल.पी.जी. आदेश 2000 के उपाबंधों का उल्लंघन पाये जाने पर इस आदेश के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आवेदक द्वारा रामेश्वर कीर पुत्र किसना कीर की दुकान से 04 घरेलू गैस व 01 कमर्शियल गैस सिलेण्डर कब्जे में लिये गये। उक्त सिलेण्डर्स का वजन फर्द जप्ती के साथ पृथक् से तैयार कर संलग्न किया गया। इस प्रकार जब्तशुदा 04 घरेलू गैस व 01 कमर्शियल गैस सिलेण्डर के निस्तारण हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 03.08.2021 को विपक्षी के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

दिनांक 22.09.2021 को पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी हाजिर आये एवं प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 31.01.2020 को विपक्षी की दुकान पर जांच करने पर विपक्षी के दुकान में विपक्षी के कब्जे में 04 घरेलू गैस व 01 कमर्शियल गैस सिलेण्डर अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर

कार्यालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

मय गैस व अन्य सामग्री राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी की दुकान में विपक्षी के कब्जे में 04 घरेलू गैस व 01 कमर्शियल गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों एवं सामग्री के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विपक्षी न्यायालय में भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है ऐसी स्थिति में पत्रावली पर विपक्षी की और से किसी भी प्रकार खण्डन रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा LPG गैस के घरेलू श्रेणी के कुल 04 घरेलू गैस व 01 कमर्शियल गैस सिलेण्डर (खाली) जिनमें भरी हुई कुल 16.7 Kg. गैस राजसात (Confiscate) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 31.01.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी रामेश्वर कीर पुत्र किसना कीर निवासी गरदाना भदेसर की दुकान सिसोदिया कृषि सेवा केन्द्र निकुम्भ चौराहा से जब्त शुदा LPG गैस के घरेलू श्रेणी के कुल 04 घरेलू गैस व 01 कमर्शियल गैस सिलेण्डर (खाली) जिनमें भरी हुई कुल 16.7 Kg. गैस राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>22.09.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(ताराचन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official